जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनाँक 24.09.2025

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त एक अदद ट्रक के साथ किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** की गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 864/2025 धारा 65(1) बीएनएस, 3/4 पाक्सो एक्ट तथा 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता फिरोज पुत्र अब्दुल्लाह निवासी धौरहरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को डीघा मोड़ के पास से आज दिनाँक 24.09.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा घटना में प्रयुक्त ट्रक को कब्जे में लिया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 23.09.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर बावत वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त उपरोक्त द्वारा ट्रक में दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनाँक 24.09.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** उ0नि0 श्री मोतीलाल यादव, का0 घनश्याम त्रिपाठी, का0 रंजन कुमार यादव।

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 5996 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल**–* पीआरवी 5996 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत फरेन्दिया से कालर द्वारा दो बाईकों का आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों (1.विशाल पुत्र सूर्यभान 2.प्रदीप पुत्र रामभरत निवासीगण ग्राम फरेन्दिया थाना को0 खलीलाबाद 3.हबीब पुत्र हसानु ग्राम चन्दहर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर उक्त घायल व्यक्तियों को निजी वाहन की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्तियों को निजी वाहन की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु०आ० लक्ष्मण कुमार राजभर, आरक्षी अनुराग यादव, हो०चा0 शिवाकान्त मणि।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 59 वाहनों से 58,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 24.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 59 वाहनों से 58,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

12 वर्षीय बालक ने कोचिंग जाने के डर से रची फर्जी अपहरण की मनगढ़ंत कहानी

एसपी के निर्देशन में जाँच में झूठी निकली रची कहानी

दिनांक 23.09.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी श्री सत्यनारायण सिंह (एडवोकेट) स्व0 राजदेव सिंह ग्राम पटखौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जिला सन्तकबीरनगर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनका 12 वर्षीय नाति अर्जित सिंह उम्र अपने स्कूल से पैदल 1.30 बजे घर जा रहा था कि रास्ते मे श्रीवेश हास्पिटल के निकट काले रंग की स्वीफ्ट कार से उनके नाती का मुँह दबाकर 03 लोग उसे गाड़ी मे बैठा लिए फिर उसे इण्डस्टियल एरिया के पास ले जाकर छोड़ दिया। वहाँ से उनका नाति बाईपास चौराहे तक पैदल आया तथा पुलिस को सूचित किया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा विधिक कार्यवाही प्रचलित करते हुए घटना स्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना द्वारा स्वयं किया गया तथा घटना का अनावरण करने हेतु टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा जाँच के दौरान तथ्य प्रकाश में आया़ा कि बालक अर्जित सिंह द्वारा कोंचिग जाने के डर से फर्जी अपहरण की कहानी बनाई थी, किसी व्यक्ति द्वारा अपहरण का होना नही पाया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप धोखाधड़ी व जालसाजी के अपराध में अभियुक्त को 09 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास व कुल 6000 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 24.09.2025 को ***माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट संतकबीरनगर*** द्वारा अभियुक्त को **धोखाधड़ी व जालसाजी के अपराध में अभियुक्त को 09 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास व 6000 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित किया गया है।**

विवरणः-

दिनांक 02.06.2016 को वादी श्री महेन्द्र प्रताप चतुर्वेदी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर **धोखाधड़ी व जालसाजी के अपराध** के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 761/2016 धारा 411/413/414/419/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त प्रवीण पाण्डेय पुत्र रवीन्द्र पाण्डेय निवासी मलाव थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 413 भादवि में 09 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास, धारा 414 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 419 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 420 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास, धारा 467 भादवि में 09 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास, धारा 468 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास 1000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास, धारा 471 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आयुध अधिनियम के मामले में अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास का 1000 रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **“ऑपरेशन कनविक्शन”** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 24.09.2025 को ***माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट संतकबीरनगर*** द्वारा अभियुक्त को आर्म्स एक्ट के मामले में 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

दिनांक 02.06.2016 को वादी श्री महेन्द्र प्रताप चतुर्वेदी द्वारा मु0अ0सं0 763/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त प्रवीण पाण्डेय पुत्र रवीन्द्र पाण्डेय निवासी मलाव थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के मामले में 04 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।